(2024/1)

राजस्थान सरकार

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय तहसीलदार बालेसर

सरकार जरिये पटवारी हल्का – जीयाबेरी बनाम किशनाराम पुत्र मगाराम, जाति – जाट निवासी – मदरूप नगर

किस्म मुकदमा 91 नं. 01/23 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही में इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.01.2024	पटवारी हल्का जीयाबेरी रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मदरूप नगर तहसील बालेसर के खसरा नं. 715 रकबा 0.8094 है किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर किशनाराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी मदरूप नगर तहसील बालेसर ने अनाधिकृत रूप से कब्जा 0.05 बीघा कर अतिक्रमण किया है पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी हो कर पत्रावली आईन्दा दिनांक 25.01.2024 को पेश हो। तहसीलदार बालेसर जिला – जोधपुर	
25.01.2024	पत्रावली पेश हुई, अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकालतनामा पेश कर, जवाब हेतु समय चाहा गया। वकालतनामा शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली आईन्दा जवाब हेतु दिनांक 06/02/2024 को पेश हो। तहसीलदार बालेसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Choudhary
Date: 2024.07.03 19:54:19 IST
Reason: SelfAttested

06.02.2024	पत्रावली पेश हुई, अप्रार्थी व अप्रार्थी ~~अधिवक्ता~~ अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 व 141 CPC के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी अप्रार्थी द्वारा मौके की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व टीम का गठन कर विवादित स्थल ख.नं. 7/5 सम्पूर्ण की मौके की भौतिक एवं वास्तविक रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 15.02.2024 तक प्रस्तुत की जावें। आदेश अलग से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली आईन्दा दिनांक-15.02.2024 को पेश हो। तहसीलदार बालेसर जिला – जोधपुर	
15.02.2024	पत्रावली पेश हुई, राजस्व टीम की रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित खसरे का पुनः सीमांकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पूर्व में विवादग्रस्त स्थल पर किया गया कब्जा स्वयं के स्तर पर हटा लिया गया है। विवादग्रस्त स्थल ~~पर~~ मौके पर कोई कब्जा नहीं पाया गया। मौका फर्द शामिल पत्रावली की गई। मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने से मूल प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण काबिल निरस्त है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार बालेसर जिला - जोधपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Choudhary
Date: 2024.07.03 19:54:19 IST
Reason: SelfAttested